207/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.09.2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील जरिये विड्रो खारिज करने बाबत पेश किया जो शामिल मिसल हो। वकील रेस्पोडेंट्स को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलाई गई। तत्पश्चात उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 352 रकबा 30 बीघा 17 बिस्वा के संबंध में विचारण न्यायालय में अन्य वाद प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें अपीलांट विभाजन का वांछित अनुतोष प्राप्त कर लेगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट उपरोक्त अपील को अब आगे चलाना नहीं चाहते है एवं अपील जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील जरिये विड्रॉल खारिज फरमायी जावे। जवाब में वकील रेस्पोडेंट्स ने अपील जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील को जरिये विड्रो खारिज करवाने तथा रेस्पोडेंट्स को कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट जरिये विड्रो खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ आदेश प्रति भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। 06.09.2023 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	